दी रेलवे एम्पलाईज को–ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर

बैंक में सेवानिवृत बैंक कर्मचारियो को संविदा के आधार पर रखने के संबंध में संचालक मंडल की सभा दिंनाक 24.11.2020 में अनुमोदित पॉलिसी

1. संविदा कर्मचारियो को नियुक्ति के समय कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश सं-फा.15 (32) सविरा/बैंक-2/आ.सो.परि./कमेटी/2015 दिंनाक 21.12.18 के अनुसार निर्धारित फिक्स पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
2. सेवानिवृत बैंक कर्मचारियो द्वारा बैंक में संविदा के आधार पर अधिकतम आयु सीमा-65 वर्ष तक ही रखा जायेगा।
3. बैंक में संविदा के आधार पर रखने के संबंध में सेवानिवृत बैंक कर्मचारियो से प्राप्त आवेदन पत्रो को उनकी योग्यता, कार्यानुभव एवं वरियता को ध्यान में रखते हुये छंटनी की जायेगी।
4. सेवानिवृत बैंक कर्मचारियो को संचालक मंडल द्वारा निर्धारित अवधि के लिये संविदा पर रखा जायेगा।
5. संविदा कर्मचारियो की नियुक्ति Purely on Temporary Basis होगी तथा इन्हें कभी भी हटाया जा सकेगा।
6 संविदा अवधि में इन्हें प्रत्येक माह 01 दिन का अवकाश दिया जायेगा। अवकाश ग्रहण नही करने पर अवकाश स्वतः ही समाप्त हो जायेगा तथा माह में 01 से अधिक अवकाश लेने पर अधिक अवकाश के दिनो के पारिश्रमिक की कटौती की जायेगी।
7. सेवानिवृत बैंक कर्मचारियो को राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमानुसार केवल दो बार ही Service Extention दिया जायेगा।
8. बैंक कार्य से मुख्यावास से बाहर यात्रा करने पर संविदा कर्मचारियो को तीन घंटे से अधिक अवधि होने पर संचालक मंडल द्वारा निर्धारित दर के अनुसार डीए का भुगतान किया जायेगा तथा टीए का भुगतान रेलवे के नियमानुसार किया जायेगा।
9. संविदा कर्मचारियेा द्वारा किये जाने वाले कार्य की शाखा प्रबन्धक द्वारा मोनेटरिंग की जायेगी।
10. नियुक्ति के समय इनसे एक घोषणा प्राप्त कि जाये कि इनके विरूद्ध कोई फौजदारी अथवा अन्य कोई मामला किसी न्यायालय एवं पुलिस थाने में विचाराधीन नही है तथा रखने के एक सप्ताह में पुलिस वेरिफिकेशन प्राप्त करें।
11. संविदा कर्मचारियो से कैश से संबंधित कार्य नहीं करवाया जायेगा।
12. संविदा कर्मचारियो के आयु, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित एवं पहचान पत्र (Voter ID, AADHAR, PAN, LICANCE etc.) से संबंधित मूल दस्तावेजो का संबंधित शाखा प्रबन्धक द्वारा सत्यापन कर मुख्यालय को रिपोर्ट की जायेगी।
13. कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश सं-फा.15 (32) सविरा/बैंक-2/आ.सो.परि./कमेटी/2015 दिंनाक 21.12.18 के अनुसार निर्धारित अन्य सेवा शर्ते निम्नानुसार हैः-

(1) उक्त आदेश में वर्णित निर्धारित पारिश्रमिक दरे अधिकतम होगी तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संस्था विशेष द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर प्रतिस्पर्धात्मक दरो पर कार्मिक लेने के प्रयास किये जावे।

(2) श्रम कानून, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम अथवा अन्य प्रवृत सक्षम कानूनों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(3) कार्मिक/सेवायें लिये जाने से यदि बैंक को कोई टैक्स/सर्विस चार्जेज/अन्य कोई राजकीय वैधानिक खर्च करना पड़ता है तो उसका भुगतान बैंक द्वारा पृथक से किया जायेगा।